फैसला सुरक्षित किया गया : 18.07.2023
फैसला दिया गया: 20.12.2023

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

आपराधिक विविध आवेदन संख्या **1168** सन 2022

(Cr.P.C की धारा 482 के तहत)

राजीव मोहन शर्मा .....आवेदक

बनाम

अपेक्षा नौटियाल और एक अन्य .....प्रत्यर्थी

साथ में

आपराधिक विविध आवेदन संख्या **1171** सन 2022

(Cr.P.C की धारा 482 के तहत)

राजीव मोहन शर्मा .....आवेदक

बनाम

आरती ठाकुर और एक अन्य .....प्रत्यर्थी

उपस्थितिः

श्री राजीव मोहन शर्मा, व्यक्तिगत रूप से आवेदक।

श्री पीयूष गर्ग, प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए विद्वान वकील।

श्री ललित शर्मा, सी. बी. आई. /प्रत्यर्थी नं.2 के विद्वान अधिवक्ता।

द्वारा माननीय पंकज पुरोहित, जे.

ये दोनों सी-482 आवेदन आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 91 सन 2022, अपेक्षा नौटियाल बनाम सी. बी. आई. और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 93 सन 2022 कु . आरती ठाकुर बनाम सी. बी. आई. में विद्वान विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार विरोधी (सी. बी. आई.) उत्तराखंड/प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देहरादून द्वारा पारित समान निर्णय

और आदेश दिनांक 15.06.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हैं जिसके तहत, प्रत्यर्थीगण कु . अपेक्षा नौटियाल और कु . आरती ठाकुर द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दी गई और आवेदक श्री राजीव मोहन शर्मा द्वारा दायर विरोध याचिकाओं को स्वीकार करते हुए विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी.बी.आई./अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, देहरादून द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 29.04.2022 को रद्द कर दिया ।

2 . चूँकि ये दोनों सी-482 आवेदन विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.06.2022 द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध हैं और तथ्यों के एक ही समूह से उत्पन्न हो रहे हैं, इन दोनों सी-482 आवेदनों का निर्णय इस समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

3. मामले के तथ्य, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई, बहुत दयनीय हैं और एक पिता की पीड़ा के कारण है, जिसने अपनी जवान बेटी को खो दिया, जो सीमा डेंटल कॉलेज और अस्पताल, ऋषिकेश से बी. डी. एस. पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में पढ़ रही थी। यह आवेदक (पिता) का मामला है कि उसकी बेटी कु. अंजलि शर्मा बी. डी. एस. द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी और उक्त महाविद्यालय के बालिका छात्रावास में रह रही थी। 12.02.2015 को , आवेदक ने अपनी बेटी- कु. अंजलि शर्मा को फोन किया, लेकिन कॉल को कु. आरती (अभियुक्तों में से एक) ने उठाया, लेकिन, उसने आवेदक को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया; फिर उसने कु. नितिका त्रेहन को एक और फोन किया, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि उनकी बेटी छात्रावास की छत से गिर गई और उसे निर्मल आश्रम अस्पताल, ऋषिकेश ले जाया गया। आवेदक निर्मल आश्रम अस्पताल, ऋषिकेश पहुँचा, जहाँ उसे सूचित किया गया कि उसकी बेटी का पहले ही निधन हो चुका है। आवेदक के अनुसार, उसे बताया गया कि उसकी बेटी ने छात्रावास की पांचवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। आवेदक का आगे मामला यह है कि विभिन्न कारणों से, उन्हें अपनी बेटी द्वारा आत्महत्या के सिद्धांत पर विश्वास नहीं था, बल्कि उसका विचार था कि उसकी बेटी की मृत्यु संदिग्ध थी, क्योंकि उसे उसके सहपाठियों द्वारा परेशान और प्रताड़ित किया गया था और प्रत्यर्थी-आरोपी आरती ठाकुर द्वारा ताला तोड़ने और आर्टिक्यूलेटर चुराने का आरोप लगाया गया था। यह यातना और

उत्पीड़न के कारण है; उनकी बेटी बीमार पड़ गई और डॉ. लेफ्टिनेंट कर्नल जे. एस. राणा के यहां उसका इलाज चल रहा था।

आवेदक के अनुसार, निम्नलिखित विभिन्न कारणों से मृत्यु सामान्य नहीं थीः

(i). आवेदक को कु. नितिका त्रेहन द्वारा सूचित किया गया था कि कु . अंजलि शर्मा को निर्मल आश्रम अस्पताल, ऋषिकेश ले जाया गया, यद्यपि कॉलेज प्रशासन ने कहा कि पहले- कु . अंजलि शर्मा को इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, उसके पश्चात भारद्वाज अस्पताल, ऋषिकेश और फिर निर्मल आश्रम अस्पताल, ऋषिकेश ले जाया गया, जहाँ उन्हें राहुल नेगी ने अपराह्न 1:30 पर भर्ती कराया और 15 मिनट के उपचार के पश्चात अपराह्न 1:45 पर, उसे मृत घोषित कर दिया गया।

(ii). निर्मल आश्रम अस्पताल ऋषिकेश के डॉ. अजय शर्मा ने जाँच के दौरान अपने बयान में कहा कि उसे मृत लाया गया था।

(iii). पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, जो उसी दिन यानी 12.02.2015 को रात्रि 08:30 बजे मृतक कु. अंजलि शर्मा के शरीर पर किया गया था, मृतक को मात्र पाँच चोटें आईं और उसके पैर में एक फ्रैक्चर था, जो आवेदक के अनुसार संभव नहीं था, अगर वह 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई।

(iv). जिस स्थान पर कॉलेज प्रशासन के अनुसार, छात्रावास की पांचवीं मंजिल से नीचे गिरने के पश्चात शव मिला था, वहां जांच अधिकारी के बयान के अनुसार कोई खून नहीं मिला था। आवेदक के अनुसार, उसकी बेटी के 5वीं मंजिल से गिरने और खुली चोटों के चलते ; यह संभव नहीं था कि मौके पर कोई खून नहीं होता|

4. इन कारणों से, यह आवेदक का मानना है कि उसकी बेटी कु. अंजलि शर्मा की आत्महत्या का सिद्धांत मनगढ़ंत था और कहानी कॉलेज प्रशासन द्वारा कॉलेज और प्रत्यर्थी-आरोपी और उसकी बेटी कु.अंजलि शर्मा के सहपाठियों को बचाने के लिए बनाई गई थी।

5. इस संदेह के कारण, आवेदक ने देहरादून जिले के ऋषिकेश पुलिस स्टेशन में प्रत्यर्थी-आरोपी और अन्य लोगों के विरुद्ध 14.02.2015 पर अपनी बेटी के दाह संस्कार के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जिसके आधार पर, 2015 का केस क्राइम संख्या 31, भारतीय दंड संहिता के खंड 376 के तहत शाम 04:05 पर दर्ज किया गया था।

6. जाँच के पश्चात जाँच अधिकारी ने सात व्यक्तियों, सीमा डेंटल कॉलेज और अस्पताल, ऋषिकेश के प्रशासनिक सदस्यों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के खंड 304ए के तहत 2015 का आरोप-पत्र संख्या 126 दिनांकित 15.06.2015 प्रस्तुत किया और मृतक-कु .अंजलि शर्मा के प्रत्यर्थी आरोपी सहपाठियों को उन्मोचित कर दिया।

7. आवेदक ने, प्रत्यर्थी-अभियुक्त के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से व्यथित महसूस करते हुए, सी 482 आवेदन संख्या 1018 सन 2015 राजीव मोहन शर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य को इस न्यायालय के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया कि जांच को सी.बी.आई. को स्थानांतरित किया जाए।

8. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपने आदेश दिनांक 27.10.2016 द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को आरोपी लड़कियों (सहपाठियों)/प्रतिवादियों द्वारा निभाई गई भूमिका, जिसके कारण कु. अंजलि शर्मा की मृत्यु हो गई, के आधार पर मामले की आगे की जांच करने का निर्देश दिया।

9. सी.बी.आई./प्रत्यर्थी ने प्रत्यर्थी-आरोपी- कु. अपेक्षा नौटियाल, कु. आरती ठाकुर और कु. निगार अंजुम, कु. नितिका, कु. काजल सक्सेना, कु. कोमल कंबोज और कु. तन्वी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 20.12.2016 को आर. सी. 7 (एस)/2016/सी. बी. आई./एस. सी. बी./लखनऊ के रूप में सी. बी. आई. मामला दर्ज किया। प्रत्यर्थी-सी. बी. आई. ने एक सीलबंद लिफाफे में इस उच्च न्यायालय के समक्ष 10.08.2017/30.11.2017 पर अपनी स्थिति रिपोर्ट/अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भी, प्रत्यर्थी-अभियुक्त सहित सभी लड़कियों/सहपाठियों को उन्मोचित कर दिया गया।

10. प्रत्यर्थी-सी. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट दिनांक 30.11.2017 के विरुद्ध आवेदक ने क्रमशः 06.01.2018 और 29.01.2018 को विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी.बी.आई./अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, देहरादून की अदालत में एक विरोध याचिका और एक पूरक याचिका दायर की, जिसको विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी.बी.आई./अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, देहरादून ने 29.04.2022 को एक विस्तृत आदेश पारित करके स्वीकार कर लिया और जांच अधिकारी श्री आर. एन. शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीबीआई/एससीबी/लखनऊ द्वारा प्रस्तुत की गई 30.11.2017 की अंतिम/समापन रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी अपेक्षा नौटियाल और आरती ठाकुर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत समन जारी किया गया।

11. उपरोक्त निर्णय और आदेश दिनांक 29.04.2022 से व्यथित महसूस करते हुए, दोनों प्रतिवादियों-अपेक्षा नौटियाल और आरती ठाकुर ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 91/2022 अपेक्षा नौटियाल बनाम सी.बी.आई. एवं आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 93 सन 2022 कु. आरती ठाकुर बनाम. सी.बी.आई. विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सी.बी.आई.) उत्तराखंड/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देहरादून की अदालत के समक्ष दायर किया, जिसे एक समान निर्णय और दिनांक 15.06.2022 के आदेश के कारण अनुमति दी गई थी, जो वर्तमान C-482 आवेदन आवेदनों में आक्षेपित है जैसा कि आवेदक द्वारा ऊपर बताया गया है।

12. दोनों सी-482 आवेदनों में प्रत्यर्थी-अभियुक्त के साथ-साथ प्रत्यर्थी-सी.बी.आई. द्वारा जवाबी शपथ पत्र दायर किया गया है। उत्तरदाता-अभियुक्त कु . अपेक्षा नौटियाल और कु . आरती ठाकुर ने छात्रावास की 5वीं मंजिल से आवेदक की बेटी कु . अंजलि शर्मा के नीचे गिरने की कहानी दोहराई और तर्क दिया कि प्रत्यर्थी-सीबीआई ने गहन जांच के बाद, प्रत्यर्थी आरोपी सहित सभी आरोपी लड़कियों/सहपाठियों को दोषमुक्त करते हुए एक अंतिम रिपोर्ट दायर की। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सी. बी. आई. ने न केवल उत्तरदाता-अभियुक्त का नार्को परीक्षण किया, बल्कि फोरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट भी प्राप्त की और मृतक- कु. अंजलि शर्मा द्वारा छोड़े गए सुसाइड पर भी विचार किया। जाँच

के दौरान एकत्र किए गए पूरे साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात सी. बी. आई. ने एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पाया गया कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनाया गया था और इसे आत्महत्या का मामला पाया गया।

13. उत्तरदाता आरोपियों द्वारा आगे बताया गया कि आवेदक की बेटी कु. अंजलि शर्मा किसी कथित प्रताड़ना के कारण बीमार नहीं पड़ीं, , बल्कि उसका इलाज दून अस्पताल के सहायक प्रोफेसर (मनोचिकित्सा) डॉ. जे. एस. राणा के पास चल रहा था और जाँच के दौरान सी. बी. आई. को सूचित किया गया कि मृतक- कु. अंजलि शर्मा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं और तनाव और अवसाद संबंधित लक्षणों से पीड़ित थीं जो कभी-कभी रोगियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति विकसित करते हैं। आवेदक की बेटी के डॉक्टर डॉ. जे. एस. राणा की भी जाँच प्रत्यर्थी-सी.बी.आई. द्वारा की गई और जाँच के दौरान उन्होंने कहा कि आवेदक की बेटी घबराहट की समस्या और गैर-मिर्गी के हमलों से पीड़ित थी; उसे चक्कर आने की शिकायत थी और तनाव और अवसाद से संबंधित लक्षण थे; उसे न्यूरॉन टॉनिक और अवसादरोधी/चिंता निवारक दवाएं दी जा रही थीं। प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा अपने जवाबी शपथ पत्र में यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक की बेटी अक्टूबर 2014 से 12.02.2015, जिस तिथि को उसने आत्महत्या कर ली थी, के बीच केवल 20 दिनों के लिए छात्रावास में रही । वह 30.01.2015 को घर गई, 06.02.2015 को वापस आई और उसी दिन फिर से घर लौटी। वह 11.02.2015 को लगभग शाम 07:30 पर छात्रावास में वापस आई और अगले दिन लगभग दोपहर 1 बजे उनका निधन हो गया। उत्तरदाताओं-अभियुक्तों के अनुसार, इस अवधि के दौरान वह अन्य लड़कियों के साथ परीक्षा में शामिल हो रही थी| इस बात से भी इनकार किया गया कि उसकी बेटी के मोबाइल पर आवेदक का कॉल, प्रत्यर्थी-कु. आरती ठाकुर द्वारा उठाया गया था। उत्तरदाताओं-अभियुक्तों ने उनके द्वारा आवेदक की बेटी कु. अंजली शर्मा का किसी भी प्रकार की यातना और उत्पीड़न से भी इनकार किया।

14. सी. बी. आई. ने अपने जवाबी शपथ पत्र में कहा है कि जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने के इस अदालत के आदेश के पश्चात जांच की गई थी, जिसकी निगरानी इस अदालत ने की थी और वैज्ञानिक या फोरेंसिक के हर पहलू में विस्तृत जांच

के पश्चात सी. बी. आई. के जांच अधिकारी को प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं मिला और तदनुसार, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

15. श्री राजीव मोहन शर्मा, व्यक्तिगत रूप से, श्री पीयूष गर्ग और श्री ललित शर्मा, प्रत्यर्थी-अभियुक्त और सी. बी. आई. के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।

16. आवेदक ने दोनों सी-482 आवेदनों में उल्लिखित मामले के तथ्यों को दोहराया और मुख्य रूप से तर्क दिया कि उनकी बेटी-कु. अंजलि शर्मा की मृत्यु आत्महत्या का मामला नहीं था। उन्होंने अपने तर्क को उजागर करने के लिए प्रस्तुत किया, जो स्वयं विरोधाभासी है। एक ओर, वह प्रत्यर्थी-आरोपी और अन्य सहपाठियों द्वारा अपनी बेटी को प्रताड़ित करने और परेशान करने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी बेटी बीमार हो गई और दूसरी ओर, अजीब तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जैसे ऊपर चर्चा की गयी, उसने तर्क दिया कि यह आत्महत्या या सामान्य मृत्यु नहीं थी, लेकिन, इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि कथित रूप से प्रत्यर्थी-आरोपी के हाथों यातना और उत्पीड़न के कारण कु. अंजलि शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी।

17. इसके विपरीत, डॉक्टर ने कथित तौर पर मृतक के शरीर पर जो चोटें पायी, घटनास्थल, जहां से शव बरामद हुआ था, पर खून की अनुपस्थिति, के आधार पर इस बात पर जोर दिया गया कि उसकी हत्या कहीं और की गई थी और शव को वहीं रखा गया था, जहां से उसे बरामद किया गया था। हालाँकि, न तो सी-482 आवेदनों में और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में इसका कथन किया गया था।

18. उन्होंने भावनात्मक रूप से तर्क दिया कि उनकी बेटी - कु. अंजलि शर्मा का पूरा खून छात्रावास में उत्तरदाता-आरोपी और अन्य लोगों ने बाहर निकाल दिया, उसका शरीर पीला और बिना खून के था और यही कारण था कि मौके पर खून नहीं मिला।

19. कुल मिलाकर, तर्कों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रत्यर्थी-आरोपी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले के बजाय, वह प्रत्यर्थी-आरोपी और छात्रावास प्रशासन के अन्य सदस्यों के विरुद्ध हत्या का मामला बनाने की कोशिश कर रहा था।

20. मैंने मामले के अभिलेख और सी. बी. आई. द्वारा अभिलेख में प्रस्तुत विशाल समापन रिपोर्ट को बहुत सावधानी से देखा है, जिसे स्वयं आवेदक द्वारा संलग्न किया गया है। रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि सी. बी. आई. जांच, जिसकी निगरानी इस न्यायालय द्वारा की जा रही थी, ने आवेदक द्वारा सुझाए गए सभी कोणों पर जांच की और इसमें प्रत्यर्थी-अभियुक्त कु. अपेक्षा नौटियाल और कु. आरती ठाकुर के विरुद्ध कोई मामला नहीं पाया गया।

21. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 30.10.2017 के आदेश द्वारा सी-482 आवेदन संख्या 1018 सन 2015 को भी बंद कर दिया, जिसके द्वारा जांच सी. बी. आई. को हस्तांतरित की गई थी और इस न्यायालय द्वारा इसकी निगरानी की जा रही थी, और राय दी कि सी. बी. आई. द्वारा जांच न्यायसंगत और उचित तरीके से की गई थी और सी. बी. आई. को अपनी अंतिम रिपोर्ट एक उचित मंच यानी विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस न्यायालय ने, पूरी संवेदनशीलता के साथ, अभिलेख को देखने के पश्चात यह भी पाया कि सी. बी. आई. ने जाँच के सभी पहलुओं को छुआ जैसा कि आवेदक द्वारा संदेह किया गया था।

22. विद्वान विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार विरोधी (सी. बी. आई.) उत्तराखंड/प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देहरादून द्वारा दर्ज किए विवादित फैसले पर विचार करने के बाद , इस न्यायालय ने 15.06.2022 के निर्णय और आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाई, जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी.बी.आई./अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, देहरादून द्वारा दर्ज संज्ञान और समन आदेश दिनांक 29.04.2022 को रद्द कर दिया गया था।

23. नतीजतन, उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप दोनों सी-482 आवेदन खारिज किए जाते हैं । मामले में इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई तथ्य नहीं मिला। तदनुसार, दोनों सी-482 आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।

(पंकज पुरोहित, जे.)
20.12.2023

पी. एन. /-